

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 9(4) राज/वाद/88 पार्ट

जयपुर दिनांक 03/6/26

:: आदेश ::


माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त श्री अनिल कुमार, पैनल लॉयर (पंजीयन क्रमांक-D/2432/2010) द्वारा प्रस्तुत किये गये त्याग-पत्र दिनांक 08.02.2026 को स्वीकृत करते हुए, उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

हो

(राघवेन्द्र काष्ठवाल)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. सेक्रेटरी जनरल, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राज0, जयपुर।
7. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता मय अति0 महाधिवक्तागण/प्रशासक वादकरण/गवर्नमेंट काउन्सिल, जोधपुर/जयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
9. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
10. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजस्थान।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
13. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
15. श्री अनील कुमार, तत्कालीन पैनल लॉयर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी हेतु आपको आवंटित प्रकरणों की पत्रावलियां श्री राजन कुमार चौरसिया, पैनल लॉयर, नई दिल्ली को सुपुर्द कर, सूचना से इस विभाग को अविलम्ब अवगत कराये जाने का श्रम करावें।
16. श्री राजन कुमार चौरसिया, पैनल लॉयर, नई दिल्ली को प्रेषित कर लेख है कि श्री अनील कुमार, तत्कालीन पैनल लॉयर से उन्हें राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी हेतु आवंटित प्रकरणों की पत्रावलियां प्राप्त कर, प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रतिनिधित्व/पक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट/सूचना से इस विभाग को अविलम्ब अवगत करावें।
17. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
18. संबंधित कोषाधिकारी।
19. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण विभाग।
20. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
21. रक्षित पत्रावली।


03/06/2026
प्रमुख शासन सचिव, विधि